अनवान:– नरसीराम बनाम मोती
मुकदमा नम्बर:– 21/2025
निर्णय तारीख:– 16.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 21/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/147

1. नरसीराम पुत्र लीला।
2. मूंगी देवी पत्नी नरसीराम जातियान कलबी, निवासी–भादरणा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

1. मोती पुत्र श्री सवा जाति ब्राहम्मण निवासी भादरुणा तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. शाखा प्रबन्धक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरणाय।
4. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर ।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजु :– 14.07.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी 3 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक:– 16.07.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा–भादरणा, तहसील–सांचौर, जिला जालोर (राजस्थान) में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हकूक की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1122 रकबा 0.8700 हैक्टर, किस्म बारानी प्रथम, लगान 2.39 रूपया, जुमले रकबा 0.8700 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी मय परिवार आवास है। जो प्रार्थीगण के बंटवाडे में आई हुई भूमि है जो मौके पर बंटवाड़ा कर लिया गया है परंतु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा होना शेष है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नंबर में आने जाने के लिए कोई राजस्व रेकर्ड में रास्ता नही है। इस [illegible] अपने खातेदारी भूमि की सिंचाई करने व उसमें कृषि उपकरण लाने–ले जाने में परेशानियां होती है। एवं प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में अपनी खेती [illegible] लाने ले जाने के लिए नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की [illegible] विवादग्रस्थ आराजी वर्तमान खसरा नंबर खसरा नंबर 1122 रकबा 0.8700 हैक्टर, किस्म बारानी प्रथम, जुमले रकबा 0.8700 हैक्टर मौजा भादरणा, तहसील–सांचौर में आवागमन का एकमात्र रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

का रास्ता 1112 रकबा 0.15 गैर मुमकिन रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.60 हेक्टेयर मौजा भादरणा तहसील—सांचौर, के पूर्व सेढे से होकर 4.5 मीटर चौडा तथा 114 मीटर लम्बा रास्ता जिसे नक्शा परिशिष्ठ अ में प्रदर्शित मार्क ए से बी मौका पर पीढियो से आगे स्थित आम रास्ता की सड़क को जोड़ता हुआ गुजर रहा है। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से लगाकर आज दिन तक उक्त वादग्रस्थ रास्ता का अपने घर खेत में आवागमन प्रयोजनार्थ चिरभोग सुखाचार के रूप में निरन्तर उपयोग—उपभोग करता रहा है। उपरोक्त वादग्रस्थ रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के घर खेत में आवागमन क अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की मांग उक्त रास्ता को राजधक में निर्वादित कर राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता के रूप में इन्द्राज करने की मांग अत्यांतिक आवश्यकता की मांग है। तथा उक्त मांग अप्रार्थी के खेत की जोत के सुविधा पूर्ण उपयोग के लिए कतई नहीं है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी के खातेदारी व कब्जा कास्त के खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.60 हैक्टर, मौजा—भादरणा के पूर्व सेढे से 4.5 मीटर चौड़ा तथा 114 मीटर लम्बा वादग्रस्थ रास्ता की भूमि राजहक में निर्वाचित कर इसे अप्रार्थी की खातेदारी में से कम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी गैरमुमकिन कटाणी रास्ता के रूप में दर्ज करने की मांग अपनी जोत की अत्यांतिक आवश्यकता की मांग है। अतः प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा—251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अधीन सशपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण को मौजा—भादरणा, तहसील—सांचौर में स्थित अपने खेत खसरा नंबर 1122 रकबा 0.8700 हेक्टर, जुमले रकबा 0.8700 हेक्टर में स्थित ढाणी सहित प्रार्थीगण को आवागमन प्रयोजनार्थ वादग्रस्थ रास्ता अप्रार्थी संख्या के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.6000 हैक्टर मौजा—भादरणा, तहसील—सांचौर के पूर्व सेढे से होकर सडक से 4.5 मीटर चौड़ा एवं 114 फिट लम्बा संलग्न आवेदन प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ **अ में प्रदर्शित मार्क ए से बी** बीच का रास्ता हेतु उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में से काटी जाकर राजहक में निर्वादित कर राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकिन कटाण सार्वजनिक रास्ता (नक्शा व जमाबंदी में) इन्द्राज किये जाने कानूनी सलूक फरमावे ।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना—दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जुवाब पेश कर सहमति प्रदान की गई । जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 1 [illegible] है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 2 सही है। जवाब इस प्रकार है [illegible] प्रार्थी [illegible]त खसरा नंबर 1122 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का संयुक्त खातेदारी [illegible] हुआ है जो प्रार्थीगण के भाई बंटवाड़े के हिस्से में आया हुआ है। अप्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.60 हैक्टर मौजा भादरूणा तहसील सांचौर के पूर्वी सेढे से होकर [illegible] चार मीटर चौड़ा व 114 मीटर लंबा रास्ता जिसे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ठ अ में प्रदर्शित मार्क ए से बी मौके पर पीढीयो से आम रास्ता है। जो सड़क से लगता है। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से लगाकर आज दिनतक वादग्रस्त रास्ते का अपने खेत आवागमन प्रयोजनार्थ प्रयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण अपने खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.60 हैक्टर मौजा भादरूणा के पूर्व सेढे से 4.5 मीटर चौड़ा व 114 मीटर लंबा रास्ता देने में सहमत है। जो 4.5 मीटर गुणा 114 मीटर यानि 0.0513 हैक्टर जमीन रास्ते में उपयोग होगी जिसके बदले अप्रार्थीगण को खेत खसरा नंबर 1122 रकबा 0.8700 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण का भाई सांवलाराम दत्तक पुत्र दानाराम रास्ते की जमीन के बदले 0.0513 हेक्टर भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थी मोती के नाम करवा रहा है। इसलिए वादग्रस्त रास्ते के बदले अप्रार्थीगण को जमीन मिल रही है। इसलिए प्रार्थीगण का रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए सरकारी गैर मुमकिन कटानी रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1111 में प्रार्थीगण के नजरी नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जावे। जिससे प्रार्थीगण के आवागमन में कोई समस्या नहीं होगी। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अतः जवाब पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 (क) का स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 1122 रकबा 0. 8700 हैक्टर में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1111 रकबा 1.60 हैक्टर मौजा भादरणा के पूर्व सेढे से 4.5 मीटर चौड़ा व 114 मीटर लंबा रास्ता दिया जावे। व रास्ता सरकारी रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन कटाणी सार्वजनिक रास्ता नक्शा व जमाबंदी में इन्द्राज किया जाने का आदेश प्रदान करावे। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 57 राजपैरोकार द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है। गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता [illegible] अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित [illegible] और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान [illegible] जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह [illegible] के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.87 हैक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 1122 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 1111 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा भादरणा पटवार हल्का पटवार हल्का चौरा के खसरा नंबर 1122 में आवागमन हेतु खसरा नम्बरान 1111 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

:- आदेश :-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा भादरणा पटवार हल्का पटवार हल्का चौरा के खसरा नम्बरान 1111 रकबा 1.60 हेक्टेयर भूमि में से 4.5 मीटर चौड़ाई व 114 मीटर लंबाई रखते हुये

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

अनवानः– नरसीराम बनाम मोती
मुकदमा नम्बरः– 21/2025
निर्णय तारीखः– 16.07.2025

तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **16.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner